राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.4( )MTW / विधि / पंरावि / 2016 / **68** जयपुर,दिनांकः**27.1.2017**

—:: परिपत्र ::—

विषय :—ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने बाबत दिशा—निर्देश।
प्रसंग :— विभागीय परिपत्र क्रमांक 832 दिनांक 8.11.2016 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के जरिये ग्राम पंचायतों के विभिन्न कार्यों में सहयोग किये जाने के लिए एक वर्ष के लिए पूर्णतः अस्थाई आधार पर **''ग्राम पंचायत सहायक''** के रूप में मानदेय पर कार्मिक लगाये जाने की विस्तृत प्रक्रिया एवं दिशा—निर्देश निर्धारित किये गए थे ।

भारत के संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से राजस्थान सरकार की आज्ञा क्रमांक एफ.4(2)पंराज / सशक्त / 2010 / 27 दिनांक 2.10.2010 द्वारा पांच विभागों से संबंधित कार्यकलाप पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये जा चुके हैं ।

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009, की क्रियांवित हेतु विभागीय अधिसूचना दिनांक 25.01.2017 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 258 के उप—नियम(1) में **(ङ) पदेन अधिकारीः** (i) पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ।'' का प्रावधान किया गया है । उक्त नियमों के नियम 259(9) के प्रावधानानुसार स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पृथक से आज्ञा जारी कर ग्राम पंचायत के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को **पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी** नामित किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सौंपे गए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के लिए संपादित किये जाने वाले कार्यों में सहयोग का कार्य भी ग्राम पंचायत सहायक द्वारा किया जायेगा ।

अतः प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 8.11.2016 को निम्नानुसार वर्णित बिन्दुओं के अनुसार इस प्रकार से संशोधित किया जाता हैः—

चयन की प्रक्रियाः—

a. ग्राम पंचायत सहायक का चयन संबंधित ग्राम पंचायत के **पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी** जिस विद्यालय के संस्थाप्रधान हैं उस विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) / विद्यालय प्रबंधन समिति(SMC) की कार्यकारी समिति के द्वारा किया जायेगा।

b. उपरोक्त बिन्दु सं0 a के अनुसार कार्यकारी समिति द्वारा चयन किये जाने की प्रक्रिया हेतु वांछित दिशा–निर्देश तथा इस प्रयोजनार्थ गठित किये जाने वाली जिला स्तरीय समिति के लिए निर्देश पृथक् से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे ।

c. जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित सूची को ज़िला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

d. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर ग्राम पंचायत सहायक को समेकित मानदेय पर पूर्णतया अस्थाई रूप से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नियोजन हेतु लगाया जायेगा । जिसके लिए औपचारिक पत्र ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव द्वारा सूची प्राप्त होने वाले दिन ही जारी किया जायेगा तथा ग्राम पंचायत सहायक को रूपये 6,000/– मासिक मानदेय राशि का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

e. उपरोक्त ज़िला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा नहीं किए जाने अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद द्वारा अनुमोदन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित "पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी" द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की कार्यकारी समिति की पुनः बैठक आयोजित कर नये नाम प्रस्तावित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम पंचायत सहायकों के दायित्व एवं कर्तव्यः–

ग्राम पंचायत सहायक पूर्व परिपत्र दिनांक 08.11.2016 में वर्णित कार्यों के साथ–साथ ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) से संबंधित कार्य करेंगे तथा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्यों में सहयोग करेंगे।

ग्राम पंचायत सहायक हेतु अर्हतायें:–

1. आवेदक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सीनियर सैकेण्डरी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. आवेदक का जिस ज़िले में ग्राम पंचायत स्थित है, उस ज़िले का निवासी होना आवश्यक है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

3. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग (स्वतंत्र प्रभार) ।
4. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा योजना।
9. ज़िला कलेक्टर्स – समस्त।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद –समस्त।
11. ज़िला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त ।
12. विकास अधिकारी – समस्त।
13. आदेश पत्रावली।

27/1/17

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव